अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – भदेसर जिला चित्तौडगढ

गेरू गाडरी ।बनाम ।। कालू मुसलमान वगेर

किस्म मुकदमा प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए. मुकदमा नम्बर.08 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज 2020/00033	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.05.2020	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रवीण जोशी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात मौजा **जवानपुरा** पटवार हल्का **पीपलवास** तहसील भदेसर में स्थित खाता संख्या **23** में अंकित आराजी **48 रकवा 0.87 हैक्टैयर आ0न0 74 रकबा 0.11 हैक्टैयर , आ0न0 75 रकबा 0.25 हैक्टैयर** स्थित होकर उक्त आराजी के विपक्षीगण पडोसी है। ताईद में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण से आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता है उक्त विवाद से बचने के लिए आराजीयात की पत्थरगढी कराई जावे । वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । जैर बहस आलौच्य आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर को 2000/– अक्षरे दौ हजार रूपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान् को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किए जाकर बाद सुनवाई उनकी मौजूदगी में मौजा **जवानपुरा** पटवार हल्का **पीपलवास** तहसील भदेसर में स्थित खाता संख्या **23** में अंकित आराजी **48 रकबा 0.87 हैक्टैयर आ0न0 74 रकबा 0.11 हैक्टैयर , आ0न0 75 रकबा 0.25 हैक्टैयर** भूमि की नक्शा बन्दोबस्ती अनुसार बिना किसी के [illegible] भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढी कराई जावे तथा पत्थर[illegible] के [illegible]दि एवं पक्षकारान् के जारी सूचना पत्र न्यायाल[illegible] इसी आशय का हुक्मनामा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय [illegible]या जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । (अंजु शर्मा) उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:52:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner